







RITY OF ISYDIA PASSPORTAUTHORITY OF

RITY OF INDIA PASSPORTAUTHORITY OF

WANTE OF SPOUSE.

NAME OF SPOUSE.

पंजीकरण

विदेशों में एतने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी बाती है कि ने बाने को निकटान भारतीय निवास / सीकी पर पंतिकृत करवा हो ।

सेतावनी

कर पासपोट भारत सरकार की सम्पनि है। प्रासपोट अधिकारी से इस पासपोट के संदर्भ में कोई सुचना मितने पर किसमें इसे सुद्ध करना हामित है, उसका हुत्त्व अनुसालन किया जाए।

कार पासपोट डाकड द्वारा किसी भी देश से बाहर न मेजा बाए। सड़ पासपोर्ट बाहक मा उसके द्वारा प्रापिष्टन व्यक्ति के कनो में ही होना बाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या बिहुक्त नहीं किया बाता बाहिए।

पारमार्थ पुर धाना, कोरी हो बाता वा नष्ट हो जाने पूर पानकी निपोर्ट तरकाल मारत में निकटतम पारमार्थ अधिकारी को दिला वादे पारक दिस्ता में हो) निकटतम भारतीय मिलत को और लगान पुरेस को दी जानी चाहिए। निकानित कुछताङ के प्रस्थात हो प्रतिपूरक पारमीर्थ जारी किया वाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA, ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY RECARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IM-

MEDIATELY.
PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST.
IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF
A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (FT THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUINES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

U